बिहार सरकार
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

सकारण आदेश

संख्या–2/एम02–70–10/2007 गृ0आ0 /श्री प्राणतोष कुमार दास, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बिरौल (दरभंगा) को बिरौल थाना कांड सं0–31/2000 से संबंधित मामले में समीक्षोपरांत गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0–955 दिनांक 02.03.2009 द्वारा निन्दन की सजा के साथ एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड संसूचित किया गया था।

विभागीय आदेश सं0–955 दिनांक 02.03.2009 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध श्री दास ने एक अपील आवेदन विभाग में समर्पित किया, जिसे विभाग द्वारा समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–8666 दिनांक 07.12.2009 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री दास ने संसूचित दंड को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–9157/2010 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 14.10.2011 को न्यायादेश पारित किया कि :–

"The impugned orders dated 02.03.2009 and 07.12.2009 are unsustainable and are accordingly set aside. No useful purpose is going to be served by remanding matters to the appellate authority in light of the discussion constained in the present order. The matter has to be remanded to the disciplinary authority to proceed afresh from the stage after submission of reply by the petitioner to the second showcause notice and pass fresh appropriate reasoned and speaking order in accordance with law. Remedy of an appeal, if aggrieved, shall lie for the petitioner before the authority concerned."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.10.2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री प्राणतोष कुमार दास, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बिरौल (दरभंगा) को निन्दन की सजा के साथ एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड विभागीय सकारण आदेश सं0–3940 दिनांक 22.05.2013 द्वारा संसूचित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 सं0–667/2014, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम प्राणतोष कुमार दास में दिनांक 19.01.2015 को पारित न्यायादेश में "निन्दन" एवं "वेतनवृद्धि रोकने के दंड के संबंध में" कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"In view of the Government Resolution aforementioned, the adverse effect of the 'censure' disabled the writ petitioner from being considered for promotion up to the year 2002-03. The State Government erred in law in coming to the conclusion that the writ petitioner could be considered for promotion only with effect from 31.12.2010. The learned single judge, too, was incorrect in taking the view that the writ petitioner did not suffer from any disability in the year 2000-01. As per the Government's said Resolution, the censure, though awarded in the year 2009, ought to be entered in the character roll of the employee for the year 1999-2000 and the effect thereof would operate till 2002-03, i.e, 31.03.2003. The writ petitioner, as such, would be entitled for promotion to the post of Senior Deputy Superintendent of Police with effect from 31.03.2003 and not with effect from 31.12.2010, as initially held by the Government , or with effect from 01.11.2000, as has been ordered by the learned single judge."

"In the present case, the effect of withholding of increment would also relate back to the date of original punishment awarded on 02.03.2009. Hence, the adverse effect of stoppage of increment would continue from the date it becomes due, i.e, 30.06.2009, for one year i.e up to 30.06.2010. The learned single judge was correct in observing that the petitioner did not suffer from any disability on 31.12.2010. when his juniors were granted promotion to the post of Additional Superintendent of Police. We fully and entirely affirm the aforesaid view of the learned single judge."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने एल0पी0ए0–सं0–667/2014 में दिनांक 19.01.2015 को पारित आदेश में यह भी कहा है कि :–

"In the result, this appeal is partly allowed as observed and directed above. The impugned order shall accordingly stand modified to the extent indicated hereinabove."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में :–

(I) विभागीय अधिसूचना सं0–5447 दिनांक 05.07.2010 द्वारा दिनांक 03.03.2010 के प्रभाव से वरीय पुलिस उपाधीक्षक के पद पर दी गई प्रोन्नति में आंशिक संशोधन करते हुए श्री प्राणतोष कुमार दास को वरीय पुलिस उपाधीक्षक में दिनांक 01.04.2003 के भूतलक्षी प्रभाव से विभागीय अधिसूचना सं0–3504 दिनांक 20.05.2015 द्वारा प्रोन्नति प्रदान की गई है।

(II) विभागीय अधिसूचना सं0–2449 दिनांक 31.03.2011 द्वारा दिनांक 03.03.2011 के प्रभाव से अपर पुलिस अधीक्षक में दी गई प्रोन्नति को विभागीय अधिसूचना सं0–5339 दिनांक 31.07.2015 द्वारा संशोधित करते हुए इनसे कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि यानि दिनांक 31.12.2010 से अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई।

(III) श्री दास को स्टाफ ऑफिसर के पद पर विभागीय अधि0 सं0–3639 दिनांक 10.05.2016 द्वारा इनसे कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10.06.2014 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गई है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश सं0–955 दिनांक 02.03.2009 द्वारा संसूचित दंड तथा विभागीय सकारण आदेश सं0–3940 दिनांक 22.05.2013 द्वारा संसूचित दंड का प्रभाव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 सं0–667/2014 में दिनांक 19.01.2015 को पारित आदेश के आलोक में **निन्दन का प्रभाव** दिनांक 31.03.2003 को तथा **वेतनवृद्धि रोकने के दंड का प्रभाव** दिनांक 30.06.2010 को समाप्त हो जाता है। इस हद तक विभागीय सकारण आदेश सं0–3940 दिनांक 22.05.2013 को तद्नुरूप संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एम02–70–10/2007 गृ0आ0 2016 /पटना,दिनांक 7/3/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री प्राणतोष कुमार दास, पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 1 एवं 5 गृह विभाग, (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/17

सरकार के उप सचिव।

13